न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एलआरए/57/2014

उनवान

1. रामेश्वरदास पुत्र मोहनदास बैरागी निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. शंकर लाल पुत्र भॅवर दास बैरागी निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. श्यामदास पुत्र लादूदास बैरागी निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. हीरादास पुत्र बंशीदास बैरागी निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या आवंटन/82/ निर्णय दिनांक 6.8.1982

अधिवक्तागण :–

1. श्री रणवीर सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अशोक श्रोत्रिय प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/ हीरादास पुत्र बंशीदास बैरागी निवासी भादू को ग्राम भादू की आराजी नम्बर 150 में से 1

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। जिसका इस्तीफा प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी के नजदीक ही नाडी है तथा गांव के जानवर पानी पीने के लिये वर्षो से इसी आराजी में से होकर आते–जाते हैं, इस प्रकार भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। अतः उक्त भूमि के बजाय उसीके पडौस में अन्य भूमि दी जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या आवंटन/82/निर्णय दिनांक 6.8.82 द्वारा आराजी नम्बर 150 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को सार्वजनिक उपयोगिता को देखते हुए श्री हीरादास आत्मज बंशीदास बैरागी निवासी भादू को पूर्व में आवटित आराजी नम्बर 150 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के बजाय ग्राम भादू की आराजी नम्बर 47 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि परिवर्तन किये जाने का आदेश दिया तथा आराजी नम्बर 150 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ग्राम भादू को पुनः सिवायचक रेकार्ड दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को आराजी संख्या 150 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन की गई थी जिस पर आवंटन नियमों की पालना नहीं करने से आवंटी के नाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गैरखातेदारी से वादग्रस्त आराजी दर्ज थी , आवंटित आराजी पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा, जिसकी जांच पडताल किये बिना दूसरी आराजी परिवर्तन करने में भारी भूल की है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में आवंटित आराजी नम्बर 150 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के बजाय आराजी नम्बर 47 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि बिना जांच पडताल किये बिना किसी उद्घोषणा के मनमकसूद तरीके से आवंति कर दी एवं नक्शे मे तरमीम भी कर दिया, जो अपीलाण्ट के खातेदारी की आराजी व रोड के बीच में काबिज 15 बिस्वा भूमि आती है , जिससे आवंटन नियमों की पालना किये बिना पटवार की रिपोर्ट लिये बिना ही, अपीलाण्ट के खातेदारी आराजी में जाने के रास्ते को परिवर्तन आदेश से आवंटित किया गया है जो आवंटन नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी के बारे में कोई मौका रिपोर्ट नहीं ली गई। जो भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित की गई उस पर कब्जा अपीलार्थी का है। जिस हेतु अपीलाण्ट को सन् 1955 में जारी धारा 91 एल आर एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया । जिससे भी स्पष्ट है कि परिवर्तन आदेश के बाद परिवर्तनशुदा भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा नहीं था व न ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। वादग्रस्त आराजी ओक्यूपाईड लैण्ड होकर अपीलाण्ट की आराजी से सटी होकर प्रथमतः अपीलाण्ट के नियम योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे ।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि खाते में हीरा दास आत्मज मोहन दास लिखा है । जबकि प्रत्यर्थी के पिता का नाम बंशी दास है न कि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मोहनदास । अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण दोनों के पिता का नाम मोहनदास है। राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी के पिता का नाम भी सही नहीं लिखा है।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलाधीन आदेश की अपील नही की जा सकती है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में डिक्री पारित नहीं की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा आवंटन आदेश की कोई अपील नहीं की गई है। जब स्वयं अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी को सार्वजनिक उपयोग की बता रहे हैं तो उन्हें तो आवंटित हो ही नही सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने जो भूमि परिवर्तन का आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । प्रत्यर्थी संख्या 1 को ग्राम भादू की आराजी नम्बर 150 में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी जिसका इस्तीफा प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इस्तीफा स्वीकार कर ग्राम भादू की ही वादग्रस्त आराजी नम्बर 47 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि परिवर्तन करते हुए आराजी नम्बर 150 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पुनः सिवाय चक रेकार्ड दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया । अपीलाण्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 47 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा है। आवंटन किये जाने से पूर्व उद्घोषणा नहीं की गई है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का बाडा बना हुआ है। वह भूमि रास्ते के रूप में प्रयोग में आती है। यदि आवंटन कर दिया जाता है तो अन्य खातेदारान का भी आने–जाने का रास्ता बन्द हो जायेगा। पूर्व में आवंटित आराजी का इस्तीफा प्रस्तुत करने पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम परिवर्तन किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि ओक्यूपाईड लैण्ड होने का प्रश्न है। ऐसी अतिक्रमित भूमि को अनऑक्यूपाईड लैण्ड माना जाता है। अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजी पर 97 में स्वयं का कब्जा बताया है जबकि अपीलाधीन आदेश 1982 को पारित किया गया है। वक्त परिवर्तन आदेश वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा रहा हो ऐसा कोई रेकार्ड अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है । वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.8.82 को यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 27.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

27/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा